पांचोंदेवी बनाम सरकार

मु०नं० 132/2021

10/1/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने दिनांक 27/9/21 को एक प्रा०पत्र O6 R17 CPC का पेश किया जो पत्रावली में शामिल है जिस पर पेशकार सरकार व वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस सुनने के उपरान्त प्रा०पत्र O6 R17 CPC को स्वीकार किया जाता है। वकील प्रार्थी ने संशोधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 LR Act के तहत पेश किया जो पत्रावली में शामिल है। पेशकार सरकार ने अपने पत्रांक 1101 दिनांक 17/9/21 के द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की जो पत्रावली में शामिल है। प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 LR Act पर वकील प्रार्थी व पेशकार सरकार की बहस सुनी गई। पेशकार सरकार ने अपनी बहस में कहा कि मेरे द्वारा पूर्व में जो जवाब पेश किया है उसी को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब/बहस माना जावे। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि मौके पर चालू रास्ता है जो प्रार्थी के आवागमन के रूप में एवं आम के आवागमन के रूप में काम में आ रहा है अतः उक्त धारा 131, 132 के तहत रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

उभय पक्षों की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भू राजस्व की अधिनियम की धारा 131, 132 सपठित भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल रिकार्ड हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या – 132 / 2021

1 पांचीदेवी पत्नि कालूराम जाति मीणा निवासी [illegible] तहसील आमेर जिला जयपुर एवं वर्तमान [illegible] तह जमवारामगढ ......प्रार्थी

बनाम

2 राज० सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ (जयपुर)

......................................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132
संपठित भू.अभिलेख नियम 1957 के
नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार

निर्णय दिनांक : 10/01/2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार जमवारामगढ ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3 (2)राज–6 पार्ट दिनांक 10 अगस्त, 2016 की पालना में इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चैनपुरावास डेरवाली तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 1571, रकबा 0.914 हैक्टेयर, 1551, रकबा 0.8725 हैक्टेयर, 1560, रकबा 0.5943 हैक्टेयर भूमि जिसकी खातेदारी राजकीय भूमि के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमे 1571 में 325 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई, 1551 में 110 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई, 1560 में [illegible] मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई का जिसका कुल क्षेत्रफल 2220 वर्गमीटर होता है जिसमें चालू रास्ता ~~निर्मित~~ है।

चूंकि मौके पर यह रास्ता आवागमन के काम आ रही है तथा भूमि का स्वरूप भी परिवर्तन हो चुका है जिसके फलस्वरूप इस रास्ता का रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक है जिससे की राजस्व रिकार्ड की मौका एवं नक्शा की स्थिति अद्यतन रह सकें।

हमने पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार जमवारामगढ एवं जमाबन्दी तथा संलग्न नक्शे का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त रास्ता का रिकार्ड में अमल किया जाना हमारी राय में आवश्यक है। अतः राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 संपठित भू.अभिलेख मिसल नियमावली 1957

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जिला–जयपुर

(2)

के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार.....सरकारी भूमि...की खातेदारी में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शे के अनुसार भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शा आदेश का भाग रहेगा। रास्ते की भूमि खातेदारों के नाम रहेगी। तदानुसार रिकार्ड में अमल कर पालना से अवगत करावें। निर्णय आज दिनांक....10 / 01 / 2022..को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर